भारतीय मानक ब्यूरो

संदर्भ : पीएमयू 2 7 जून, 2019

विषय : अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों भारतीय मानकों के प्रोत्साहन हेतु प्रबंध परामर्शक की नियुक्ति हेतु आरएफपी शुद्धिपत्र 2

समस्त सम्बन्धितों को अधिसूचित किया जाता है कि 16 मई 2019 को जारी अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय मानकों के प्रोत्साहन हेतु प्रबंध परामर्शक की नियुक्ति हेतु आरएफपी शुद्धिपत्र 2 के संदर्भ में निम्नांकित परिवर्तन किए जा रहे हैः

क्रमं सं.	आरएफपी पृष्ठ सं.	भाग एवं खंड	आरएफपी कथन	संशोधित
1	5	भाग क, खंड 3, तालिका 2	बोली जमा करने की अंतिम तारीख -14 जून, 2019	बोली जमा करने की अंतिम तारीख-28 जून, 2019
2	5	भाग क, खंड 3, तालिका 2	तकनीकी बोली खोलना -18 जून, 2019	तकनीकी बोली खोलना -1 जुलाई, 2019
3	3	भाग क, खंड 1	लागू नही	टीआईसी अर्थात् परीक्षण निरीक्षण एवं प्रमाणन

4	14	भाग ग, खंड 9.1 तालिका 6	वित्तीय वर्ष 2018-19 में भारत में 'संबद्ध कार्य' से राजस्व	वित्तीय वर्ष 2017-18 में भारत में 'संबद्ध कार्य' से राजस्व

5	17	भाग ग, खंड 9.1 तालिका 7	भारत में पब्लिक सेक्टर कम्पनियों में/ केंद्र या राज्य सरकार में कार्य करने/ उत्पाद प्रबंधन का न्यूनतम 15 वर्ष का व्यावसायिक अनुभव	भारत में पब्लिक सेक्टर कम्पनियों में/ केंद्र या राज्य सरकार में कार्य करने/ परियोजना प्रबंधन का न्यूनतम 15 वर्ष का व्यावसायिक अनुभव
6	17	भाग ग, खंड 9.4	बोलियों का मूल्यांकन.......... 30% मान पर आवंटित जी जाएंगी। निम्नलिखित सूत्र के अनुसार बोलीदाता के लिए संयुक्त अंक निकाले जाएंगें...... ए के संयुक्त अंक.......वित्तीय अंक	बोलियों का मूल्यांकन संयुक्त एवं लागत आधारित प्रणाली के अनुसार किया जाएगा। तकनीकी बोलियां 80% मान पर और वित्तीय बोलियां 20% मान पर आवंटित जी जाएंगी। निम्नलिखित सूत्र के अनुसार बोलीदाता के लिए संयुक्त अंक निकाले जाएंगें ए के संयुक्त अंक 80% = [ए के सामान्यीकृत तकनीकी अंक]+ 20%*[ए के सामान्यीकृत वित्तीय अंक]

7	31	अनुलग्नक VIII (क)	लागू नही	यह अनुलग्नक हटा दिया गया है क्योंकि यह भाग आरएफपी के अन्य भाग के अन्तर्गत लिया जा चुका है।
8	18	भाग घ, खंड 10.3	**अप्रत्याशित घटना** इस संविदा के जारी रहने के दौरान अगर किसी भी समय......जो कि ब्यूरो की सहमति से रखना चाहता हो।	इस संविदा के जारी रहने के दौरान किसी पक्ष द्वारा इस संविदा के अंतर्गत किसी भी पक्ष (ग्राहक या एजेंसी) द्वारा किसी कार्य को पूर्ण या आंशिक रूप से किसी यूद्ध, विरोधपूर्वक, सार्वजनिक शत्रुता के कृत्य, महामारी, असैन्य विद्रोह, तोड़-फोड़, आगजनी, बाढ़, विस्फोट, कोरांटिन प्रतिबंध, हड़ताल, तालाबंदी या दैवीय घटना (जिसे बाद में यहां ऐसे कृत -- गया है) के कारण न किए जाने अथवा उसमें विलंब होने पर एक पक्ष को दूसरे

				पक्ष को ऐसी घटना घटित होने की तिथि से 21 दिनों के भीतर ऐसी घटना घटने का नोटिस देना होगा और ऐसी घटना घटित होने के कारण किसी भी पक्ष को न तो संविदा समाप्त करने का अधिकार होगा और न ही कोई पक्ष कार्य न होने अथवा उसमें विलंब के कारण दूसरे पक्ष से नुकसान का दावा करेगा। ऐसी स्थिति समाप्त होने अथवा पहले जैसी होने पर यथा शीघ्र डिलीवरी आरंभ करनी होगी, और डिलीवरी प्रारंभ कर दी है अथवा नहीं इस संबंध में ब्यूरो के महानिदेशक का निर्णय अंतिम और निर्णायक होगा।

9	20	भाग घ, खंड 10.10	लागू नहीं	**समापन खंड:** अ. यदि एजेंसी समुचित रूप से निर्धारित करती है कि वे लागू कानून या इस आरएफपी की अपेक्षानुसार सेवाएँ उपलब्ध नहीं करा सकती हो, तो वे ग्राहक को 1 (एक) माह का अग्रिम लिखित नोटिस देकर संविदा का समापन कर सकती है। यदि एजेंसी की ओर से संविदा का समापन किया जाता है, तो एजेंसी की निष्पादन प्रतिभूति जब्त कर ली जाएगी। ब. ग्राहक द्वारा निम्नलिखित कारणों में किसी की वजह से 1 (एक) माह का लिखित अग्रिम नोटिस देकर नियुक्ति अवधि को दौरान किसी भी समय संविदा का समापन कर सकता है: क) यदि एजेंसी आशा के अनुरूप गतिविधियाँ नहीं करती हो और दिए गए परामर्श के अनुसार सुधारात्मक कदम नहीं लेती हो। ख) यदि एजेंसी पर्याप्त गोपनीयता और ग्राहकों या सूचना या डाटा सुरक्षा का निर्वहन नहीं करती हो। ग) यदि एजेंसी या इसके कार्मिक किसी ऐसे वाणिज्यिक, वित्तीय या अन्य दबाव से मुक्त नहीं हो जो उनके तकनीकी निर्णय को प्रभावित करते हो।

				घ) यदि एजेंसी किसी अनैतिक रीतियों या अस्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक रीतियों में लिप्त पायी जाती है। ड़) यदि एजेंसी नियुक्ति के निबंधन एवं शर्तों को उल्लंघन करती पाई जाती हो और आवेदन के साथ दिए गए वचनबद्धता/घोषणा का अनुपालन नहीं करती हो। एजेंसी को नियुक्ति की समाप्ति के लिए नोटिस इस प्रावधान के साथ दिया जाएगा कि एजेंसी के खिलाफ यथा प्रस्तावित कार्रवाई क्यों न की जाए, वह कारण स्पष्ट करें। यदि नोटिस जारी करने की तारीख के इक्कीस दिन के भीतर लिखित स्पष्टीकरण नहीं प्राप्त हो या स्पष्टीकरण असंतोषजनक हो या ब्यूरो को कारण स्वीकार्य नहीं हो तो संविदा का समापन कर दिया जाएगा। ब्यूरो नियुक्त एजेंसी को कोई कारण बताए बैगर संविदा को समाप्त करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है। यदि उपर्युक्त खंड (क से ड़ तक) के कारण संविदा समाप्त होती है तो एजेंसी की निष्पादन प्रतिभूति जब्त कर ली जाएगी। यद्यपि, यदि समाप्ति का कोई कारण नहीं होने के मामले में निष्पादन प्रतिभूति जब्त नहीं की जाएगी।

10	20	भाग घ, खंड 10.7	ब्यूरो किसी अतिरिक्त लागत के बैगर	ब्यूरो को ब्यूरो तथा एजेंसी की आपसी सहमति पर इस आरएफपी में उल्लिखित कार्यक्षेत्र में परिवर्तन करने का अधिकार होगा और एजेंसी को किसी प्रकार की अतिरिक्त लागत के प्रदेय उपलब्ध कराने होंगे।
11	18	भाग घ, खंड 10.2	लागू नहीं	.... यद्यपि हितों में टकराव का कार्यक्षेत्र भारतीय भुगोल तक समित होगा, तथापि यदि कोई हितों का टकराव होता है तो मामले से मामले के आधार पर लिया जाएगा।

2. इस आरएफपी की सभी अन्य निबंधन एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। ऐसे बोलीदाता जिन्होंने इस शुद्धिपत्र के जारी होने के पहले अपनी बोली जमा कर दी हैं, उनसे इस शुद्धिपत्र के अनुसार आरएफपी में विनिर्दिष्ट परिवर्तनों पर विचार करते हुए, निर्धारित तारीख और समय से पूर्व अपनी बोली पुनःजमा करने की अपेक्षा है।

अंजना तनवर

महानिदेशक, बीआईएस की ओएसडी

मानकः पथप्रदर्शकः

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

Ref: PMU 2 04th June, 2019

Subject: Corrigendum 2 for RFP for '*Appointment of Management Consultant for Promotion of Indian Standards in Various Sectors of the Economy*'.

It is notified to all concerned that the following changes are being made w.r.t. the RFP for '*Appointment of Management Consultant for Promotion of Indian Standards in Various Sectors of the Economy*' issued on 16th May, 2019.

Sl. No	Page No. of RFP	Section and Clause	RFP Statement	Amended as
1	5	Section A, Clause 3, Table 2	Last date of submission of Bids– *14th June, 2019*	Last date of submission of Bids - *28th June, 2019*
2	5	Section A, Clause 3, Table 2	Opening of Technical Bid – *18th June, 2019*	Opening of Technical Bid- *1st July, 2019*
3	3	Section A, Clause 1	NA	TICs means Testing, Inspections and Certifications.
4	14	Section C, Clause 9.1 Table 6	Revenue in FY *2018-19* from 'relevant assignments' in India	Revenue in FY *2017-18* from 'relevant assignments' in India
5	17	Section C, Clause 9.1 Table 7	Minimum 15 years of professional experience of working on/managing *products* with public sector	Minimum 15 years of professional experience of working on/managing *projects* with public sector entities/Central or State Government in India

			entities/Central or State Government in India	
6	17	Section C, Clause 9.4	Bids will ….. ……. …….. a weight of *30%.* A combined score ……..following formula: Combined score of A = *70%* * [Normalized Technical score of A] + *30%* * [Normalized Financial score of A]	Bids will be evaluated as per Combined Quality Cum Cost Based System. The Technical bids will be allotted a weight of *80%* while financial bids will be allotted a weight of *20%*. A combined score for a bidder will be arrived at according to the following formula: **Combined score of A =** *80%* * [Normalized Technical score of A] + *20%* * [Normalized Financial score of A]
7	31	Annexure VIII (a)	NA	Annexure has been removed since that part have been already covered in other part of the RFP.
8	18	Section D, clause 10.3	Force Majeure: If at any time…….. concurrence of the Bureau elect to retain.	If at any time during the continuance of the Contract, the performance in whole or in part by either party (Client and Agency) of any obligation practicable under this contract shall be prevented or delayed by the reasons of any war, hostility, acts of the public enemy, epidemics, civil commotion, sabotage, fires, floods, explosion, quarantine restrictions, strikes, lockouts or act of God (hereinafter referred to as such acts) provided notice of happening of such event is given by one party to the other within 21 days from the date of occurrence thereof, neither party shall be by reasons of such event, be entitled to terminate this contract nor shall either party have any claim for damages against the other in respect of such non-performance or the delay in performance, and deliveries under the contract shall be resumed as soon as practicable after such event has come

				to an end or ceased to exist, and the decision of the Director General of the Bureau as to whether the deliveries have been so resumed or not, shall be final and conclusive.
9	20	Section D, Clause 10.10	NA	**Termination Clause:** A. If Agency reasonably determines that they can no longer provide the services in accordance with applicable law or with the requirement of this RFP, they may terminate the contract by giving 1-month advance written notice to the Client. Performance Security of the agency shall be forfeited if the contract is terminated from Agency side. B. Contract may be terminated any time during the appointment period by the Client by giving 1 (one) months advance notice for any of the following reasons: a) If the *Agency* does not carry out the activities as expected and does not take corrective steps to improve as advised. b) If the *Agency* does not maintain adequate secrecy, and data protection pertaining to the clients or information or data. c) If the *Agency* or its personnel are found to be not free from any commercial, financial or other pressures which might influence their technical judgment. d) If the *Agency* is found indulging in any unethical practices or unhealthy competitive practices. e) If the *Agency* is found violating any of the terms and conditions of appointment, and does not comply with the undertaking/declaration given along with the application. A notice for Termination of Appointment will be given to the *Agency*, with provision of show-cause to explain as to why such

				proposed action may not be taken against the *Agency*. In case of non-receipt of a written explanation within a period of twenty one days from the date of issue of the notice or if the reply is found unsatisfactory or if the cause(s) extended at the time of show-cause is not acceptable to the bureau, the contract *will be terminated.* The Bureau reserves right to terminate the contract with appointed agency without assigning any reason. Performance Security of the agency shall be forfeited if the contract is terminated because of reasons mentioned above clause (a to e). However, in case of termination without assigning any reason, the performance security shall not be forfeited.
10	20	Section D, Clause 10.7	The Bureau shall have……… without any extra cost	The Bureau shall have right to reasonably vary the scope of work described in this RFP by mutual agreement between the bureau and the agency and the agency shall be bound to provide effect to such revisions in the deliverables without any extra cost.
11	18	Section D, Clause 10.2	NA	………………..Though the scope of the conflict of interest will be limited up to the Indian geography, however if any conflict of interest arises then matter will be taken on case to case basis.

2. All other terms and conditions of the RFP remain unchanged. Bidders, who have already submitted their bids prior to issue of this corrigendum, are required to re-submit their bid before the Due Date & Time, considering the changes in specifications of the RFP as per this Corrigendum.

Anjana Tanwar
(OSD to DG, BIS)